

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं

संबंद्ध चिकित्सालय स्वशासी संस्था इंदौर (मध्यप्रदेश)

कार्यालय दूरभाष नंबर:— 0731—2527383,2527679

ईमेल:—dean-mgmmc@mp.gov.in

वेबसाईट:—<http://www.mgmmcindore.in/>

कैन्टिन आवेदन फार्म

संस्था का नाम—स्कुल ऑफ एक्सीलेन्स फॉर आई, इंदौर

(वर्ष—2022)

मूल्य रुपये 2,000/-

(प्रति कैन्टिन)

महात्मा
गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इंदौर

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के अंतर्गत आने वाले संस्थान स्कुल ऑफ एक्सीलेन्स फॉर आई इंदौर की केन्टिन के ठेके की शर्तें एवं नियमावली :-

(A) आवेदन प्रपत्र का मूल्य एवं धरोहर राशि

1. आवेदन प्रपत्र का मूल्य 2,000/-निर्धारित है यह प्रपत्र इस संस्थान के सर्विस शाखा से 2,000/- नगद जमा कर, विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से तक प्राप्त किया जा सकता है।
2. आवेदन प्रपत्र संस्थान की वेबसाइट—<http://www.mgmmcindore.in/> से डाउनलोड कर उसका उपयोग किया जा सकता है ऐसी स्थिति में संबंधित को राशि रु. 2,000/-का बैंक ड्राफ्ट / पे—ऑर्डर “मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता म.गॉ.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर” के नाम से देय होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. ठेकेदार को आवेदन के साथ धरोहर राशि के रूप में सुरक्षा धनराशि रूपये 1,00,000/-अक्षरी एक लॉख रुपये की राशि “मुख्य कार्यपालन अधिकारी व अधिष्ठाता म.गॉ.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर” के नाम, A/C of Tender purchaser से फिक्सड डिपाजिट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की हो, जिसकी अवधि कम से कम तीन वर्ष की हो, प्रस्तुत करनी होगी।
4. ठेका स्वीकृत होने पर संबंधित को छः माह का किराया भी अग्रिम रूप से जमा करना होगा।
5. यदि ठेकेदार एक वर्ष के पुर्व स्वेच्छा से केन्टिन का कार्य बंद करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में धरोहर राशि राजसात हो जावेगी ।

(B) आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक व समय तथा आवेदन खोलने की दिनांक समय व स्थान

1. आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक 18.04.2022 समय 05:30 बजे तक निर्धारित है, सील बन्द प्रस्ताव अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के कार्यालय में निर्धारित समय तक प्राप्त होना चाहिए।
2. प्री-बीड मीटिंग दिनांक 30.03.2022 समय दोपहर 02:00 बजे अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के कांफ्रेन्स हॉल में रखी जावेगी।
3. प्राप्त आवेदन दिनांक 21.04.2022 समय दोपहर 02:00 बजे अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के कांफ्रेन्स हॉल में खोले जावेंगे।
4. जो आवेदनकर्ता इसमें उपस्थित रहना चाहते हैं वे उपस्थित रह सकते हैं।

(C) आवेदन धरोहर राशि प्रपत्र, प्रस्ताव, दरें आदि जमा करने की प्रक्रिया।

इच्छुक आवेदनकर्ताओं को प्रपत्र अ (सील बंद लिफाफे), प्रपत्र ब (सील बंद लिफाफे) तथा प्रपत्र स (सील बंद लिफाफे) को एक सील बंद लिफाफे में निर्धारित समय तक प्रस्तुत करना होगे।

(D) अन्य आवश्यक शर्तें ।

1. केन्टिन में कार्यदिवस में केन्टिन में चाय, नाश्ता, भोजन आदि हेतु उपस्थिति की अनुमानित संख्या आवेदन भरने के पूर्व आप स्वयं आंकलन करें।
2. केन्टिन का उपलब्ध क्षेत्रफल जो कि केन्टिन संचालक को संचालन हेतु दिया जावेंगा, अन्य क्षेत्र का उपयोग निषेध होगा। केन्टिन हेतु संस्था द्वारा यथास्थिति में स्थान उपलब्ध करवाया जावेगा उक्त स्थल पर रेनोवेशन आदि कार्य निविदाकर्ता को स्वयं के खर्च पर करना होगा। अतः आवेदनकर्ता आवेदन के पुर्व स्थल का निरीक्षण कर लेवें।
3. P.F. /E.P.F का लायसेंस अनिवार्य रहेगा।


दृष्टिकोण
म.गॉ.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर

- फर्म के 04 वर्ष का स्थापना का लायसेंस अनिवार्य रहेगा।
5. चरित्र प्रमाण—पत्र सर्टिफिकेट (कार्यरत संस्थान द्वारा प्रमाणित) अनिवार्य रहेगा।
 6. आवेदन पत्र में उल्लेखित वचन पत्र (नोटराईज्ड) अनिवार्य रहेगा।
 7. टेण्डर फार्म प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किया हुआ हो अनिवार्य रहेगा।
 8. नगर निगम/सक्षम अधिकारी खाद्य विभाग द्वारा कार्य हेतु योग्यता के संबंध में जारी प्रमाण—पत्र/लाइसेंस अनिवार्य रहेगा।
 9. संस्था का जी.एस.टी. नं. एवं पेन नं. अनिवार्य हैं।
 10. C.A द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट प्रतिवर्ष 3 करोड़ का मिनिमम टर्न—ऑवर (पूर्व के 03 वित्तीय वर्षों का) हो जो कि सिर्फ केटरिंग कार्य से हो। कोरोना महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020–21 के टर्न ऑवर को सम्मिलित नहीं किया जावेगा। वर्ष 2018–19, 2019–20 तथा वर्ष 2021–22 के टर्न ऑवर को सम्मिलित किया जावेगा।
 11. फोटोयुक्त पहचान पत्र—आधार कार्ड या ड्रायविंग लाइसेंस अनिवार्य रहेगा।
 12. स्कूल ऑफ एक्सीलेन्स फॉर आई, इंदौर की केन्टिन का ठेका आपके अधिपत्य दिनांक से तीन वर्ष तक की अवधि के लिये है।
 13. एक वर्ष उपरान्त दोनों पक्षों की सहमति पर कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर इन्हीं शर्तों पर या संशोधित शर्तों पर आगामी अधिकतम एक वर्ष के लिए एवं इसी प्रकार आगे अधिकतम तीन वर्ष की समयावृद्धि की जा सकती।
 14. प्रति वर्ष अनुदान राशि में नियत 10 प्रतिष्ठत की दर से वृद्धि की जावेगी तथा पानी व विजली बिल पृथक से आवेदनकर्ता को देना होगा।
 15. केन्टिन में विक्य होने वाली सामग्री की दरे प्रतिवर्ष अधिकतम 10% की दर से दोनों पक्षों की सहमति पर ही बढ़ाई जा सकती है।
 16. केन्टिन का समय प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक रहेगा। सुबह 07:00 से 11:00 तक नाश्ता, लंच दोपहर 01:00 से 03:00 तक, 04:00 बजे चाय, काफी एवं स्नेक्स तथा रात का खाना रात्रि 08:00 से 11:00 तक देना होगा।
 17. ठेका मंजूर होने के दिवस से एक माह के भीतर, आपको कार्य शुरू करना होगा अन्यथा कार्यादेश स्वतः निरस्त हो जावेगा एवं धरोहर राष्ट्रीय राजसात हो जावेगी।
 18. ठेका स्वीकृति के पश्चात् ठेकेदार को निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर इकारारनामा प्रस्तुत करना होगा। इसका सम्पूर्ण व्यय सफल आवेदनकर्ता को ही वहन करना होगा।
 19. ठेका प्रारम्भ करने के पूर्व ठेकेदार को केन्टिन भवन का चार्ज समिति से लिखित में प्राप्त करना होगा तथा ठेका समाप्ति पर तुरन्त ठेकेदार को अपना निजी सामान केन्टिन से हटाकर केन्टिन का चार्ज सात दिवस के अन्दर समिति को अथवा अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर अथवा अधीक्षक स्कूल ऑफ एक्सीलेन्स फॉर आई, इंदौर द्वारा आदेशित व्यक्ति को सौंपना होगा। निश्चित अवधि के बाद केन्टिन अथवा उसके किसी भी भाग का अधिपत्य न देना शासकीय भूमि व संपत्ति पर अनाधिकृत अतिक्रमण माना जावेगा तथा ऐसी स्थिति में 3000/- रु. प्रतिदिन का अर्थदण्ड तो लिया ही जावेगा/वसूल किया जावेगा, साथ ही इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही भी की जावेगी।
 20. केन्टिन में ईंधन के लिये ठेकेदार द्वारा व्यवसायिक LPG गैस का ही उपयोग किया जाना आवश्यक है। डोमेस्टिक LPG गैस कर उपयोग प्रतिबंधित है, उपयोग करते हुए पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी केन्टिन संचालक की होगी।
 21. केन्टिन में ठेकेदार को आवश्यकतानुसार कर्मचारी रखना होगें। उनकी पोशाख एकसमान तथा साफ—सुथरी होना अनिवार्य है। केन्टिन में कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाखुन और बालों की सफाई अनिवार्य हैं। कर्मचारी के रूप में रोगी एवं बीमार व्यक्ति तथा बाल मजदुर प्रतिबंधित रहेगे। बाल मजदुर रखने पर उसकी समस्त जवाबदारी केन्टिन संचालक की होगी।
 22. शर्तों के साथ निम्नांकित वचन पत्र (नोटरी द्वारा प्रमाणित) आवेदनकर्ता को देना होगा।
 - (अ) आवेदनकर्ता शासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैकलिस्टेड घोषित न किया गया हो।
 - (ब) मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने आवेदन प्रपत्र एवं आवेदन की शर्त पूर्णतः पढ़ ली है तथा मुझे सभी शर्तें स्वीकार हैं (आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर एवं दो गवाहों के हस्ताक्षर नाम, पते एवं फोन नं. के साथ होना आवश्यक है)।

१. श्री. लक्ष्मि चिकित्सा क्लिनिक
इन्डिया

23. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय/अधीक्षक, स्कुल ऑफ एक्सीलेन्स फॉर आई इन्डौर/केन्टिन समिति के सदस्य अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा समय—समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जावेगा किस भी प्रकार की अनियमिता पाये जाने अथवा आवेदन की किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर प्रत्येक अवसर पर तो तत्काल प्रभाव से 3 माह का नोटिस देकर ठेका निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा।
24. केन्टिन भवन तथा अन्य स्ट्रेक्चर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन बिना अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्डौर/अधीक्षक, स्कुल ऑफ एक्सीलेन्स फॉर आई इन्डौर की स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा तथा केन्टिन भवन को किसी भी प्रकार का नुकसान होगा तो उसकी पूर्ति ठेकेदार की जमा सुरक्षानिधि से की जावेगी।
25. केन्टिन में शुद्ध पानी (R.O. System) की पर्याप्त व्यवस्था ठेकेदार को रखना होगी तथा हाथ धोने के स्थान पर साबुन ऐंव टावेल रखना होगा। पीने के पानी का ऐंव हाथ धोने का स्थान अलग—अलग होना चाहिए, जिसकी व्यवस्था कैंटीन संचालक को स्वयं को करनी होगी।
26. केन्टिन में बिड़ी, सिगरेट, तम्बाकू आदि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ विक्रय नहीं किया जावेगा और ठेकेदार या उसके कर्मचारी आदि कोई भी मादक पदार्थ का उपयोग नहीं करेंगे। ठेकेदार किसी भी व्यक्ति को मादक पदार्थ पर ठेके की निरस्तिकरण की कार्यवाही बिना सुचना के की जावेगी। मादक पदार्थ के प्रतिबंध के साइन बोर्ड लगाने होंगे।
27. केन्टिन समय से पूर्व या कार्य दिवस पर बंद होने की अवस्था में यथा संभव 3 दिन पूर्व सूचना अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय/अधीक्षक, स्कुल ऑफ एक्सीलेन्स फॉर आई इन्डौर को लिखित रूप में देनी होगी।
28. केन्टिन का 06 माह का अग्रिम अनुदान राशि कार्य आवंटित होने के एक सप्ताह के भीतर लेखा शाखा में जमा कराना होगा। तदउपरांत प्रतिमाह की प्रथम तरीख को/अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस संस्था की लेखा शाखा में प्रत्येक माह का किराया जमा कराना होगा। अनुदान राशि विलम्ब होने पर 0.25 प्रतिष्ठत प्रतिदिन के मान से शुल्क जमा करना होगा।
29. केन्टिन संचालक को बिजली के उपयोग के लिये MPPKVCL द्वारा प्रमाणित एक सब मीटर लगवाना होगा। जिसका बिल ठेकेदार को नियमित रूप से प्रतिमाह बिल की समयावधि में संस्था में जमा करना होगा ऐंव इलेक्ट्रीक शुल्क वर्तमान MPPKVCL की व्यवसायिक दर से देय होगा। MPPKVCL द्वारा दरें वृद्धि करने पर तदनुसार वृद्धि की जावेगी। बिलों का नियमित भुगतान न करने पर आपके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि से इसका कटोत्रा किया जावेगा।
30. केन्टिन संचालक को अपनी ओर से पानी के बिल हेतु एक मीटर लगवाना होगा ऐंव उक्त देयक स्वयं को देना होगा।
31. केन्टिन में एक सुझाव/शिकायत पेटी लगाई जावेगी जिसे केन्टिन समिति के सदस्यों द्वारा तीन माह में खोला जावेगा ऐंव अधिष्ठाता/अधीक्षक, स्कुल ऑफ एक्सीलेन्स फॉर आई इन्डौर की अनुमति के पश्चात् उचित कार्यवाही की जावेगी।
32. किसी भी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में ठेका स्वीकृत करने अथवा न करने अथवा मध्यावधि में ही बिना किसी कारण बताये ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्डौर/अधीक्षक, स्कुल ऑफ एक्सीलेन्स फॉर आई इन्डौर द्वारा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है।
33. केन्टिन में उपयोग कि जाने वाली कच्ची सामग्री ऐंव बनी हुई सामग्री की गुणवत्ता की जांच किसी भी समय शासन के सक्षम अधिकारी/संस्थान के अधिष्ठाता/संस्था अधिष्ठाता द्वारा इस हेतु बनाई गई समिति/अधीक्षक, स्कुल ऑफ एक्सीलेन्स फॉर आई इन्डौर द्वारा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है।
34. ठेकेदार को केन्टिन के उपयोग के लिये उत्तम किस्म के आवश्यक फर्नीचर (सनमायका टॉप) स्टेनलेस स्टील के बर्तन व उच्च प्रकार की काकरी आदि की व्यवस्था स्वयं करना होगी। प्लास्टिक बर्तन/डिस्पोजेवल का उपयोग वर्जित रहेगा। चाय ऐंव काफी के लिए सफेद रंग के क्राकरी के कप, प्लेट ही उपयोग किये जावे।

अधिष्ठाता
१. श्री. द्वृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्डौर

१. श्री. द्वृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्डौर

35. केन्टिन के फर्श ,फर्नीचर आदि की हमेशा नियमित सफाई रखनी होगी। खाद्य सामग्री को जालीदार अथवा कांच की अलमारी में बन्द कर रखना होगा। केन्टिन के आसपास के एरिया में भी स्वयं के खर्च पर सफाई रखना होगी । केन्टिन में कवर युक्त डस्टबीन ही रखे जावे ।
36. केन्टिन संचालक को केन्टिन की नियमित सेनेटाइजेशन, केन्टिन कर्मचारियों के मास्क आदि की व्यवस्था स्वयं को अपने स्तर पर करनी होगी ।
37. केन्टिन में प्रदाय किये जाने वाले पदार्थ शुद्ध एवं उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जावे। इस संबंध में अधिष्ठाता/अधीक्षक स्कूल ऑफ एक्सीलेन्स फॉर आई इन्डौर/संबंधित संस्था के संबंधित अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का भी पालन करना होगा।
38. आदेश दिये जाने पर खाद्य सामग्री व चाय आदि स्कूल ऑफ एक्सीलेन्स फॉर आई इन्डौर के कार्यालय एवं विभागों में स्वयं ठेकेदार को भेजने की व्यवस्था करनी होगी। जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा ।
39. खाद्य सामग्री उत्तम गुणवत्ता की कच्ची सामग्री उपयोग करते हुए बनाना होगा। रिफाईन्ड तेल का उपयोग करना होगा। ताजी सब्जीयों, दूध, दही, आदि का ही उपयोग करना होगा। एक दिन पुर्व की बनी हुई खाद्य सामग्री का उपयोग वर्जित रहेगा। केन्टिन में मासाहारी खाद्य पदार्थ (मांस, मछली, इत्यादि) का बनाना एवं खाना (किसी भी रूप में) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
40. संस्थान में समय-समय पर होने वाले बैंठकों कार्यशालाओं, अन्य आयोजनों पर आदेशित सामग्री एवं उनसे संबंधित समस्त निर्देशित व्यवस्थाएं आपको करना होगी। जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा ।
41. ठेकेदार को केन्टिन स्वयं चलाना होगा। वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तांतरित अथवा सबलेट नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर ठेका स्वतः निरस्त माना जावेगा ।
42. संस्थान द्वारा जारी शर्तों के अतिरिक्त, ठेकेदार की किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
43. केन्टिन में किसी भी प्रकार का उपद्रव, आपत्तिजनक शोरगुल पूर्णतः निषेध रहेगा। केन्टिन में अनुशासन व शांति बनाये रखना ठेकदार का ही कर्तव्य होगा ।
44. केन्टिन में दूध व अन्य खाद्य सामग्री को रखने के लिये फ्रिज एवं चीलर आवश्यक रूप से रखना होगा।
45. केन्टिन में प्रयोग की जाने वाली चटनीयों व सलाद प्रतिदिन ताजा होना चाहिए तथा टेमेटो सॉस ब्रांडेड होना चाहिए ।
46. केन्टिन में ठंडे खाने को गर्म करने हेतु एक माइक्रोवेव ओवन की व्यवस्था करनी होगी ।
47. केन्टिन तथा उससे संबंधित उपयोग में आने वाले स्थान की साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की ही होगी। इसका समस्त व्यय उसे ही करना होगा। नगर-निगम व शासन की साफ-सफाई हेतु समस्त नियमनावाली का पालन करना होगा, अन्यथा उक्त शासन के उपक्रम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का जवाबदार केन्टिन संचालक स्वयं रहेगा ।
48. सामग्री के टेबल अथवा संस्थान परिसर में आदेशित स्थान पर सामग्री व्यवस्थित रूप से पहुचाने एवं उसके सर्विस करने तथा उपयोग उपरान्त साफ-सफाई करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी। इसके लिये कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा ।
49. केन्टिन में जो कर्मचारी रखें जावें उनकी सूची ,फोटो, पते एवं फोन न. आदि अधिष्ठाता कार्यालय/अधीक्षक, स्कूल ऑफ एक्सीलेन्स फॉर आई इन्डौर के कार्यालय में समय-समय पर देना होंगे, बाल मजदुर प्रतिबंधित रहेंगे तथा सभी का पुलिस वैरिफिकेशन अनिवार्य होगा ।
50. ठेकेदार एवं केन्टिन में कार्य करने वाले कर्मचारी अपनी किसी भी प्रकार की हानि के लिए स्वयं ही जवाबदार होगा ।
51. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्डौर को उपरोक्त शर्तों में कमी अथवा संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है ।
52. केन्टिन ठेके अनुशासन या विवाद आदि में अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्डौर का निर्णय अंतिम तथा ठेकेदार को बंधनकारक होगा ।
53. इस संबंध में किसी भी प्रकार के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्डौर का होगा व उनका निर्णय अंतिम होगा ।
54. संस्थान को किसी भी प्रकार की बकाया राशि ,जमा की गई सुरक्षा धन राशि में से वसूल की जावेगी ।

55. किसी भी प्रकार की न्यायलयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र इन्दौर रहेगा ।
56. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर को कोई भी आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार रहेगा ।
57. आवेदनकर्ता के आवेदन प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एंव सील अंकित होना चाहिए तथा आवेदन स्पष्ट होना चाहिए। कांट-छांट नहीं होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत की जावेगी।

अधिष्ठाता
महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर

मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है मैंने महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर द्वारा स्कुल ऑफ एक्सीलेन्स फॉर आई की केन्टिन ठेके के संबंध में जारी समस्त शर्तें अच्छी तरह से पढ़ व समझ ली है, जो मुझे मान्य है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :-
नाम एवं पूर्ण पता :-
संस्था का नाम
संस्था की सील
दिनांक:-



“अधिष्ठाता”
Dr. G. S. Smriti Chikitsa Mahavidyalaya
इन्दौर

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

प्रपत्र-अ

अनिवार्य दस्तावेज जो कि "प्रपत्र-अ" में रखे जाने हैं निम्नानुसार है-

धरोहर राशि का विवरण (प्रारूप)

1. संस्था का नाम जिसमे केन्टिन हेतु अवेदन किया गया
2. राशि रु
3. एफ.डी.आर (3 वर्ष) की अवधि (केवल राष्ट्रीयकृत बैंक).....
4. जारी होने का दिनांक
5. जारी करने वाले बैंक का नाम व शाखा का नाम/पता
-
6. भुगतान का स्थान.....

अनिवार्य दस्तावेज जो कि "प्रपत्र-अ" में रखे जाने हैं निम्नानुसार है-

क्र.	अनिवार्य दस्तावेज	हॉ/ना
1	P.F./E.P.F.का लायसेंस।	अनिवार्य
2	फर्म के 04 वर्ष का स्थापना का लायसेंस।	अनिवार्य
3	चरित्र प्रमाण-पत्र सर्टिफिकेट (कार्यरत संस्थान द्वारा प्रमाणित)।	अनिवार्य
4	आवेदन पत्र में उल्लेखित वचन पत्र (नोटराईज्ड)।	अनिवार्य
5	टेंडर फार्म प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किया हुआ हो।	अनिवार्य
6	नगर निगम/सक्षम अधिकारी खाद्य विभाग द्वारा कार्य हेतु योग्यता के संबंध में जारी प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।	अनिवार्य
7	जी.एस.टी. नं. एवं पेन नं. अनिवार्य हैं।	अनिवार्य
8	फोटोयुक्त पहचान पत्र-आधार कार्ड या ड्रायविंग लाइसेंस अनिवार्य हैं।	अनिवार्य

प्रपत्र-अ में चाहे गये समस्त दस्तावेजों को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उक्त दस्तावेजों की अनउपलब्धता में प्रपत्र-ब व प्रपत्र-स नहीं खोले जावेगे तथा उक्त आवेदनकर्ता को टेंडर की आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। ऐसे आवेदनकर्ताओं के आवेदन फार्म निरस्त माने जावेगें।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :-

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर
द्वारा दिया गया

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

प्रपत्र—ब

संस्था का नाम जिसमें केन्टिन हेतु अवेदन किया गया

तकनीकीय निविदा

निविदाओं की श्रेणी का उनके द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर मुल्यांकन किया जावेगा। यह मुल्यांकन 100 प्रतिशत अंकों में से प्राप्त कुल अंकों पर किया जावेगा। तकनीकीय मुल्यांकन के 60 प्रतिष्ठत अंक एंव वित्तीय मुल्यांकन के 40 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये हैं।

तकनीकीय निविदा के मुल्यांकन नीचे दर्शाये गये अंकों के अनुसार किया जावेगा। कुल 100 प्रतिशत अंकों के मापदंड का विवरण निम्नानुसार है:-

अंक	
1.	शासकीय संस्थान में कार्यरत फुड लाइसेंस
2.	C.A द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट प्रतिवर्ष 3 करोड़ का मिनिमम टर्न-ओवर (पूर्व के 03 वित्तीय वर्षों का) हो जो कि सिर्फ केटरिंग कार्य से हो।
अंक	—40
3.	पूर्व में चिकित्सालयों में संतोषप्रद कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र
अंक	—40
4.	संस्था का आई.एस.ओ 9001:2015
अंक	—05
5.	संस्था का आई.एस.ओ 22000:2018
अंक	—05

कुल 100 अंक

महाविद्यालय
महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर

तकनीकीय मुल्यांकन की पद्धति-60

क्र.	मुल्यांकन की मापदण्डता	अधिकतम अंक	अंकों का विभाजन	मुल्यांकन की पद्धति	प्राप्तांक
1	शासकीय संस्थानों में फुड लाइसेंस जो कि वर्तमान में कार्यरत हो।	10	सफल निविदाकार को न्युनतम 05 अंक	दो या अधिक शासकीय संस्थान में कार्यरत फुड लाइसेंस एक शासकीय संस्थान में कार्यरत फुड लाइसेंस।	10 05
2	C.A द्वारा प्रमाणित सटिफिकेट प्रतिवर्ष 3 करोड़ का मिनिमम टर्न-ऑवर (पूर्व के 03 वित्तीय वर्षों का) हो जो कि सिर्फ केटरिंग कार्य से हो।	40	सफल निविदाकार को न्युनतम 10 अंक	05 करोड़ या अधिक का प्रतिवर्ष का मिनिमम टर्न-ऑवर 03 से अधिक तथा 05 करोड़ से कम का प्रतिवर्ष का मिनिमम टर्न-ऑवर 03 करोड़ से कम का प्रतिवर्ष का मिनिमम टर्न-ऑवर	40 अंक 20 10
3	पूर्व में चिकित्सालय में संतोषप्रद कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र	40	सफल निविदाकार को न्युनतम 10 अंक	500 बिस्तरीय या अधिक के चिकित्सालय में कार्य का अनुभव 200 से 500 बिस्तरीय चिकित्सालय में कार्य का अनुभव 200 से कम बिस्तरीय चिकित्सालय में कार्य का अनुभव	40 20 10
4	संस्था का आई.एस.ओ 9001:2015	05	सफल निविदाकार को न्युनतम 05 अंक		05
5	संस्था का आई.एस.ओ 22000:2018	05	सफल निविदाकार को न्युनतम 05 अंक		05

नोट:- टेक्निकल मुल्यांकन में न्युनतम 60 अंक आना अनिवार्य है। जिन आवेदनकर्ताओं को 60 अंक से कम अंक प्राप्त होंगे ऐसे आवेदनकर्ताओं को टेंडर की आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा, उनके आवेदन फार्म निरस्त माने जावेंगे। न्युनतम अंक प्राप्त आवेदनकर्ता का ही वित्तीय दर (प्रपत्र-स) का लिफाफा खोला जावेगा।

तकनीकीय मुल्यांकन की पद्धति इस प्रकार की होगी। कुल अंकों को X माना जायें एवं $X/100*60$ से प्रत्येक आवेदनकर्ता की गणना होगी।

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
वित्तीय निविदा प्रपत्र-स

संस्था का नाम जिसमे केंटीन हेतु अवेदन किया गया

- दर सूची जो कि आवेदनकार द्वारा स्पष्ट अक्षरों में भरकर एवं हस्ताक्षर कर एवं सील लगाकर लिफाफा "C" में रखी जावेगी ।
- वित्तीय मुल्यांकन के 40 प्रतिष्ठत अंक निर्धारित किये गये हैं।

संस्थानों के इस कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये निर्धारित स्थानों का उपलब्ध क्षेत्रफल जो कि केंटीन संचालक को संचालन हेतु दिया जावेगा, अन्य क्षेत्र का उपयोग निषेध होगा। निम्नलिखित केंटीन का अनुदान प्रतिमाह आवेदनकर्ता को आपने प्रस्ताव में उल्लेखित करना होगा तथा उक्त केंटीन का न्युनतम अनुदान प्रतिमाह रहेगा जो की निम्नानुसार है :-

क्रमांक	केंटीन का नाम	न्युनतम अनुदान प्रतिमाह (a)	अनुदान प्रतिमाह आवेदनकर्ता द्वारा भरा जावेगा (b)
01	स्कुल ऑफ एक्सीलेन्स फॉर आई इंदौर	25,000/- (पच्चीस हजार रु.)	

वित्तीय निविदा दर के 40 प्रतिष्ठत अंक। वित्तीय निविदा दर की मुल्यांकन की पद्धति इस प्रकार की होगी

- a- न्युनतम दर (न्युनतम अनुदान प्रतिमाह)
b- आवेदनकर्ता की दर (अनुदान प्रतिमाह आवेदनकर्ता द्वारा भरा) = a/b*40

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :—

नाम एवं पूर्ण पता :—

संस्था का नाम.....

संस्था की सील.....

दिनांक:—.....



प्राप्तिकारी
दू. श्री. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर

केन्टिन में उपलब्ध सामग्री की निर्धारित दरे

क्रमांक	सामग्री का नाम	मात्रा	दर रु. अंको में
1	पोहा सेव सहित	100 ग्राम	10
2	कचौरी	70 से 80 ग्राम	10
3	समोसा	70 से 80 ग्राम	10
4	आलुबड़ा	70 से 80 ग्राम	10
5	वेज कटलेट	80 से 90 ग्राम	20
6	उपमा	100 ग्राम	15
7	खमण	100 ग्राम	20
8	बटर टोस्ट (2 पीस) स्टेन्डर्ड साईज	1 प्लेट	15
9	सेन्डविच टोस्टेड चीज दो ब्रेड स्लाइस स्टेन्डर्ड साईज	1 प्लेट	30
10	सेन्डविच टोस्टेड वेज दो ब्रेड स्लाइस स्टेन्डर्ड साईज	1 प्लेट	20
11	इडली सांभर—1 प्लेट, 2 इडली, सांभर, चटनी (न्यूनतम वजन 250 ग्राम)	1 प्लेट	30
12	मसाला डोसा —1 प्लेट, चटनी, सांभर (न्यूनतम वजन 250 ग्राम)	1 प्लेट	40
13	वडा सांभर 1 प्लेट चटनी (न्यूनतम वजन 250 ग्राम)	1 प्लेट	30
14	उत्तप्ति 1 प्लेट चटनी (न्यूनतम वजन 250 ग्राम)	1 प्लेट	35
15	सादा डोसा — 1 प्लेट, चटनी, सांभर (न्यूनतम वजन 150 ग्राम)	1 प्लेट	30
16	बेक समोसा/आलू पेटीस	70 से 80 ग्राम	10
17	बेक समोसा/आलू पेटीस (सेव, चटनी, टमाटर सोस, प्याज आदि के साथ बनाकर	न्यूनतम 100 ग्राम	15
18	आलू पराठा / मैथी पराठा / गौमी पराठा आचार, सॉस के साथ - 1	100 से 125 ग्राम	20
19	वेज बिरियानी	100 ग्राम	20
20	दही, न्यूनतम 100 ग्राम	1 प्लेट	10


 श्री एम्. एम्. शर्मा
 विधिविभाग
 दिल्ली

21	भोजन—चार रोटी (80–100 ग्राम) दो सब्जी (एक हरी सब्जी सहित),दाल,चावल, प्रत्येक न्यूनतम 50 ग्राम अचार,सलाद,पापड अतिरिक्त रोटी प्रति नग रु 5	01 थाली	50
22	भोजन—चार रोटी (80–100 ग्राम) एक सब्जी ,दाल,चावल, प्रत्येक न्यूनतम 50 ग्राम , अचार , सलाद अतिरिक्त रोटी प्रति नग	01 थाली	40
23	पेक लांच— 4 पराठा (80–100ग्राम) दो सब्जी (एक हरी सब्जी) दाल,पुलाव, दही / रायता, मिठाई प्रति नग न्यूनतम 40 ग्राम,अजार,सलाद,पापड अलग—अलग पेकिंग में डिस्पोजेबल चम्मच एवं पेपर नेपकिन सहित अच्छी किस्म की पेकिंग में ।	01 पेकेट	100
24	चाय	50 मिली	6
25	चाय	100 मिली	12
26	कॉफी नेस्केफे	50 मिली	10
27	कोल्ड कॉफी	200 मिली	30
28	कॉफी नेस्केफे	100 मिली	20
29	साबूदाना खिचडी	100 ग्राम	20
30	लस्सी/ (सांची/ अमूल)	साची/ अमूल द्वारा निर्धारित पैकिंग में	Up to MRP
31	पेस्ट्री	100 ग्राम	10
32	पिज्जा	200 ग्राम	50
33	पाइनेपल ज्यूस	200 मिली	30
34	मेंगो ज्युस	200 मिली	40
35	संतरे ज्युस	200 मिली	40
36	मौसम्बी ज्युस	200 मिली	40
37	नारियल पानी	200 मिली	30
38	मैगी	100 ग्राम	25
39	नूडल्स	100 ग्राम	20
40	मैनचुरियन	100 ग्राम	25
41	गाजर हलवा	100 ग्राम	25
42	सदा भजिये	100 ग्राम	15
43	मुँग भजिये	100 ग्राम	15
44	पनीर टिक्का	100 ग्राम	50

45	चिली पनीर	100 ग्राम	50
46	पंजाबी पनीर	100 ग्राम	50
47	शाही पनीर	100 ग्राम	50
48	दही बड़ा	100 ग्राम	20
49	रोटी:- तंदुरी,	1 नग	5
50	तवा रोटी	1 नग	4
51	मिस्री रोटी	1 नग	6

शासन / स्थानीय निकाय द्वारा लगाये गये / लगाये जाने वाले समर्त कर उक्त राष्ट्र में सम्मिलित हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :-

नाम एवं पूर्ण पता :-

संस्था का नाम.....

संस्था की सील.....

दिनांक:-.....

बालि विष्टाता
र. ल. रमेश चिकित्सा विभाग